724वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 17 फरवरी 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 724वीं बैठक दिनांक 17/02/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. **Case No P2/33/2024 Shri HUKAM SINGH, S/O Keshri Singh Dhakad, Gram Kanpohra, Post Murel khurd, Raisen Prior Environment Clearance for Kanpohra Flagstone Mine in an area of 1.00 ha. (1584 cum per year) (Khasra No. 190/1), Village-Kanpohra, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP)**

प्रस्तावित फ्लेगस्टोन खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक हुकुम सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **M/s. Oceao Enviro Management Solutions (India) Pvt. Ltd.** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri HUKAM SINGH, S/O Keshri Singh Dhakad, Gram Kanpohra, Post Murel khurd, Raisen	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	190/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	village-Kanpohra, Tehsil- Raisen & District Raisen, State Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 8384 दिनांक 03/7/23 के द्वारा स्वीकृत ।	

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Flag Stone - 1584 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 1584 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1959 दिनांक 14/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1959 दिनांक 14/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1959 दिनांक 14/12/2023 अनुसार 250 मीटर पर मानव बसाहट, 150 मीटर पर मरघट एवं 500 मीटर की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कानपोहरा जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 12/3/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि खदान क्षेत्र में 08 पेड है जिसमें से कोई भी पेड को काटना प्रस्तावित नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– हॉलेज रोड लगभग 15 मी.
	दक्षिण पूर्व दिशा– कच्चा रोड लगभग 70 मी.
	पूर्व दिशा– आबादी लगभग 30 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 70 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया है।
	पश्चिम दिशा–
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1959 दिनांक 14/12/2023 अनुसार उक्त खदान नवीन सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ दी जावेगी

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेगस्टोन 1584 घनमीटर/वर्ष ।

2. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.58 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.81 लाख प्रति वर्ष ।
4. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक शाला चांदना के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	30,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5) m . X 413 m (.	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर 4 पेड़ के बीच में एक	413
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (L 394 m X W 4 m)) पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 1.50 मीटर (	कला सिरस, नीम, शीशम) सिस्सू(, एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । (पूर्ण सुरक्षा सहित)	100
3	ग्राम कनपोहरा के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	687
4	नॉन माइनिंग जोन 1.50 मीटर के दूरी में	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर पेड़ के बीच में एक	300
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव			

खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. **Case No. P2/20/2024 Shri DILIP BUILDCON LIMITED, LIMITED COMPANY, M/s DILIP BUILDCON LIMITED, Camp Office, Sy No. 135, Near Yenopoya College, Thodar Village, Moodbidre Taluk, Dakshina Kannada. Office Address:- Plot No. 5, Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Mahagarh Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.00 ha. (50004 cum per year) (Khasra No. 410), Village-Mahagarh, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP). T.P.**

प्रस्तावित **Stone (Gitti)** खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri DILIP BUILDCON LIMITED, LIMITED COMPANY, M/s DILIP BUILDCON LIMITED, Camp Office, Sy No. 135, Near Yenopoya College, Thodar Village, Moodbidre Taluk, Dakshina Kannada. Office Address:- Plot No. 5, Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road Bhopal (M.P.) (As Per LOI)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	410 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village –Mahagarh, Tehsil- Manasa, District-Neemuch (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 757 दिनांक 07/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–50,004 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–50,004 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 27/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई	

	खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 27/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 27/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महागढ़ जिला नीमच के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 23 दिनांक 07/12/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि खदान क्षेत्र में 22 पेड है जिसमें से 15 पेड को काटे जाना प्रस्तावित है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा– पक्का रोड लगभग 165 मी. परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि 35 मी का सेटबेक प्रस्तावित किया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 27/09/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान दक्षिण–पूर्वी ओर खुदी हुई है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान को पूर्व मे अस्थायी अनुज्ञा जारी की गई थी पूर्व में स्वीकृत अस्थाई उत्खनन् अनुज्ञा के गढ़ढे हैं तथा हमे यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा इन गढ़ढों को सर्फेस मेप मे दर्शाया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–**50,004** घनमीटर/वर्ष ।
2. खदान क्षेत्र में 22 पेड है जिनमें से 15 पेड काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें एवं जिस प्रजाति

के पेड काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 150 पेड लगाये जाना सुनिश्चित करगें।

3. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.86 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 03.57 लाख प्रति वर्ष ।
6. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**
शासकीय उ.मा. विद्यालय महागढ़ में रंगाई पुताई एवं अधोसंरचना विकास	1,00,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, बॉस, चिरोल, सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	2000
2	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्राम पंचायत भवन महागढ़ एवं शासकीय उ.मा. विद्यालय महागढ़	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	400
4	महागढ़ ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	400
5	**नॉन माइनिग जोन**	नीम, बॉस, चिरोल, सिस्सू, करंज, आम, सीताफल,	800

		खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No. P2/21/2024 Shri RAHUL OSATWAL, Lessee, R/o- 14, old Hospital Road Jaora, Tehsil- Jaora, District- Ratlam, M.P. Prior Environment Clearance for Badayala Chorasi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (15105 cum per year) (Khasra No. 146/1), Village- Badaliya Chorasi, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP) [DEIAA]**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल ओस्तवाल, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAHUL OSATWAL, Lessee, R/o- 14, old Hospital Road Jaora, Tehsil- Jaora, District- Ratlam, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	146/1 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Badaliya Chorasi, Tehsil- Piploda, and District- Ratlam (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 21/02/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 1614 दिनांक 29/06/18 के द्वारा पत्थर–15,105 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–15,105 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–15,105 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र	

अन्य खदानें	क्रमांक 2525 दिनांक 17/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2525 दिनांक 17/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2525 दिनांक 17/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बडायला चौरासी जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– पक्का रोड लगभग 416 मी
	दक्षिण पूर्व दिशा– आबादी लगभग 483 मी. एवं शेड लगभग 286 मी.
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड लगभग 400 मी. एवं आबादी लगभग 483 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर–10 पेज नं.–6के सरल क्रमांक–36 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति

लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .30 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **15105** घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.12 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
5. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. लीज क्षेत्र के उत्तर एवं पूर्व दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।

9. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
10. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
ग्रामबड़ायलाचौरासी अधोसंरचनाविकास योजना के तहतग्रामपंचायतकोराशिप्रदान की जाएगी।	30,000/-
नजदीकीग्रामोंमेंजैविक खाद के उत्पादन एवंउपयोग के लाभ समझाने एवंश्रीअन्न योजना के प्रचारहेतुपंचायत एवं कृषिविभाग के माध्यम सेप्रशिक्षणशिविरकाआयोजनकियाजावेगा ।	20,000/-

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेदसिरिस, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500
2	परिवहन मार्ग में (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	150
3	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1700
4	ग्रामबड़ायलाचौरासीस्थितस्थितमंदिरपरिसरमें	पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के

OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

4. **Case No. 6702/2019 Mr. RAJEEV BOHREM/s M/s Sudama Construction Pvt. Ltd, Director, Line No. 12, Birla Nagar, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (23,520 cum per annum) (Khasra No. - 147/1), Village - Rafatpur, Tehsil - Gwalior, Dist. Gwalior, (MP).**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Mr. RAJEEV BOHRE] Online M/s Sudma Construction Pvt. Ltd, Director एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Mr. RAJEEV BOHREM/s M/s Sudama Construction Pvt. Ltd, Director, Line No. 12, Birla Nagar, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (23,520 cum per annum) (Khasra No. - 147/1), Village - Rafatpur, Tehsil - Gwalior, Dist. Gwalior, (MP).
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 147/1, एरिया– 1.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village - Rafatpur, Tehsil - Gwalior, Dist. Gwalior, (MP).
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 2990 दिनांक 18/02/2019.
परियोजना की श्रेणी	**बी–1.**
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Controlled and Muffled blasting. (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नही।**
उत्पादन क्षमता	• **स्टोन (गिट्टी)** – 23,520 **घनमीटर/वर्ष** ।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9673 दिनांक 08/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 16 खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 31.511 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9673 दिनांक 08/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9673 दिनांक 08/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	*ग्राम पंचायत – लदेरा, जिला – ग्वालियर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 01 दिनांक 30/ /2008 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।*
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– पक्का रोड लगभग 450 मी. पूर्व दिशा– आबादी लगभग 180 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 20 मी. का सेटबेक प्रस्तुत किया है।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	**लागू नहीं।**
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 55 के सरल क्रमांक – 179 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है । खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्शाया है। **प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि आबादी की ओर सघन वृक्षारोपण किया जावें।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन (गिट्टी)** – 23,520 **मी^{3} प्रति वर्ष।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.41 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 05.44 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
शासकीय स्कूल, रफतपुर में एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर व शेष राशि स्कूल के शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	**रू 1,00,000/–**
ग्राम रफतपुर के किसान वाशियो के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जैविक खाद्य निर्माण एवं उपयोग के लिए सतत प्रशिक्षण	**रू 40,000/–**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	क्लस्टर की सीमा पर	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	420
2	परिवहन मार्ग (310 मीटर)	नीम, पीपल, करंज, कदम्ब, चिरोल,वं अन्य स्थानीय प्रजातियां। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	200

	पेड़ों की न्यूनतम उचाई 1.5 मीटर		
3	रफतपुर ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, रूद्राक्ष , सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	560
4	रफतपुर गाव के प्राइमरी स्कूल में वितरण हेतु।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. **Case No. P2/14/2024 Smt. Shashi Dwivedi, R/o- 96, Balvant Nagar Gandhi Road Gwalior, District- Gwalior, (M.P.), Pin- 484440 Prior Environment Clearance for Atalpur Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (5700 cum per year) (Khasra No. 734/9/1), Village-Atalpur, Tehsil-Badarwas, District-Shivpuri (MP) [DEIAA].**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Shashi Dwivedi, Online Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Smt. Shashi Dwivedi, R/o- 96, Balvant Nagar Gandhi Road Gwalior, District- Gwalior, (M.P.), Pin- 484440 Prior Environment Clearance for stone quarry with a Production capacity of 5700 cubic meters per year of Gitti, having a lease area of 2.00 Ha. Shivpuri at Khasra no. 734/9/1 (Govt. Land) Village- Atalpur, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri (M.P.).	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 734/9/1,	एरिया– 2.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village- Atalpur, Tehsil- Badarwas, District- Shivpuri (M.P.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1216 दिनांक 28/09/2016.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.**	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	-	

खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Controlled blasting techniques, Muffle Blasting and use of sand bags. (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC was issued by DEIAA Shivpuri letter no. 1061 dated 25 /10 /2017.
उत्पादन क्षमता	• **स्टोन (गिट्टी) – 5700 घनमीटर/वर्ष** ।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1278 दिनांक 27/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1278 दिनांक 27/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवुपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1278 दिनांक 27/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – अटलपुर, जिला – शिवुपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 03 दिनांक 26/01/2016 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर पश्चिम दिशा– आबदी– लगभग 183 मी., नाला लगभग 20 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबदी के संबंध में 17 मी. का एवं नाले के संबंध में लगभग 30 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है।
	दक्षिण पश्चिम दिशा– शमशान घाट लगभग 77 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि शमशान घाट के संबंध में 133 मी. का का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	वैद्यता दिनांक 31/10/2022.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 15 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .25 पेड़ लगाये गये एवं 100 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि शमशान घाट के संबंध में 133 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है अतः इस गैर खनन क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन (गिट्टी) – 5700 मी^{3} प्रति वर्ष।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.56 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.51 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
5. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
7. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
8. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
9. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
▪ अधोसंरचना विकास योजना के तहत ग्राम पंचायत को भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर राशि प्रदान की जाएगी।	30,000/-
▪ नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	10,000/-

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2410 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन के अंतर्गत	नीम, खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल, सफेद सिरिस, पीपल आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800पौधे
2	गैर खनन क्षेत्र में	खमेर, काला सिरिस, सफेदसिरिस, नीम, आमला, पीपल, सिस्सू, करंज, सीताफल, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300 पौधे
3	ग्राम अटलपुर के मुक्ति धाम परिसर में पौधरोपण	सिस्सू, पीपल, आवला, नीम , बरगद, नीम, चिरोल आदिएवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100पौधे
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदिअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1210पौधे

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

6. Case No. P2/23/2024 Shri RAJPAL RATHORE Lessee R/o- Village- Gunakhedi, Tehsil- Makdon, District- Ujjain, M.P Prior Environment Clearance for Kanja Murrum Quarry in an area of 2.00 ha. (7000 cum per year) (Khasra No. 338), Village- Pipalyakalan, Tehsil-Agar, District-Agar Malwa (MP) .

प्रस्तावित मुरूम खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri RAJPAL RATHORE, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	RAJPAL RATHORE Lessee R/o- Village- Gunakhedi, Tehsil- Makdon, District- Ujjain, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	338 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.0 hectare.
स्थल	Village- Pipalyakalan, Tehsil- Agar, District- Agar Malwa (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 681 दिनांक 23/08/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरूम – 7000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरूम – 7000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल	

अन्य खदानें	प्रमाण–पत्र क्रमांक 971 दिनांक 11/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 2.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 971 दिनांक 11/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 971 दिनांक 11/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हाडाई जिला आगरमालवा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 05/6/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा – कच्चा रोड लगभग 400 मी.
	दक्षिण पश्चिम दिशा – संरचना लगभग 188 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 929 दिनांक 28/11/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 7000 **मी^{3} प्रति वर्ष।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.63 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.65 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
ग्रामपिपल्याकलां के विद्यालय विकासहेतुपालकशिक्षासंघमेंउल्लेखितराशिभूप्रवेशमिलने के 3 माह के भीतरजमाकरदीजावेगी	**20,000/-**
नजदीकीग्रामोंमेंजैविक खाद के उत्पादन एवंउपयोग के लाभ समझाने एवंश्रीअन्न योजना के प्रचारहेतुपंचायत एवं कृषिविभाग के माध्यम सेप्रशिक्षणशिविरकाआयोजनकियाजावेगा ।	**16,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	कालासिरिस, सफेदसिरिस, नीम, सिस्सू, चिरोल, करंज, पीपलआदि। एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600पौधे
2	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्बइत्यादिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	100 पौधे
3	ग्रामपिपल्याकलां के मंदिरमें	पीपल, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, कचनार, नीमआदिएवंअन्य स्थानीयप्रजातियाँ।	50पौधे
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1650 पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No. P2/22/2024 Shri VIKAS JAIN Lessee R/o- Berchha Road Shajapur, Tehsil & District- Shajapur, M.P Prior Environment Clearance for Kanja Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (Stone-4000, M-Sand-5000, OB-9000 cum per year) (Khasra No.**

1073, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 & 1080), Village-Kanja, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP) .

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri VIKAS JAIN, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	VIKAS JAIN Lessee R/o- Berchha Road Shajapur, Tehsil & District- Shajapur, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1073, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 & 1080 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.70 hectare.
स्थल	Village- Kanja, Tehsil- Shajapur, District- Shajapur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 881 दिनांक 17/8/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 4000 घनमीटर/वर्ष, एम–सेंड – 5000 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हरवर्डन – 9000 घनमीटर/वर्ष, हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर – 4000 घनमीटर/वर्ष, एम–सेंड – 5000 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हरवर्डन – 10560 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **शाजापुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1365 दिनांक 13/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.70 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **शाजापुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1365 दिनांक 13/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **शाजापुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1365 दिनांक 13/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय	

	राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत **कांजा** जिला **शाजापुर** के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत करायर गया कि खदान क्षेत्र में 04 पेड स्थित है जिनमें से 03 पेड को काटा जाना प्रस्तावित है, जिसके एवज में 30 अतिरिक्त पेड लगाये जावेगें।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा– नाला लगभग 45 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 1363 दिनांक 12/12/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर – 4000 घनमीटर/वर्ष, एम–सेंड – 5000 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हरवर्डन – 10560 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.55 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.91 लाख प्रति वर्ष
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
▪ रोगीकल्याणविकासमंडलकंजामेंग्राम के प्राथमिकस्वास्थकेंद्र	40,000/-

एवंस्वास्थव्यवस्थाओंहेतुउल्लेखितराशिभूप्रवेशमिलने के 3 माह के भीतरजमा की जावेगी। ▪ चरागाहविकासहेतुग्रामपंचायतमेंउल्लेखितराशिभूप्रवेशमिलने के 3 माह के भीतरजमा की जावेगी। ▪ नजदीकीग्रामोंमेंजैविक खाद के उत्पादन एवंउपयोग के लाभ समझाने एवंश्रीअन्न योजना के प्रचारहेतुपंचायत एवं कृषिविभाग के माध्यम सेप्रशिक्षणशिविरकाआयोजनकियाजावेगा।	20,000/- 20,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2030 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	675 पौधे
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्बइत्यादिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियॉंट्री–गार्ड के साथ	150 पौधे
3	ग्रामकंजास्थित शासकीय प्राथमिक शालामें	कदम्ब, करंज,नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर . पुत्रंजीवाआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियॉं	50 पौधे
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहलआदिअन्य स्थानीय प्रजातियॉं	1195पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No. P2/51/2024 Shri Sudhir Chandra Datt, Director, Near Home Science College, 114/A Napier Town, Jabalpur (M.P.) 482002. Prior Environment Clearance for M/S DATT REAL INFRA FOR RESIDENTIAL PROJECT at Khasra 12/2, 12/4, 15, Mouza- Katiyaghat, N.B.-506, P.H. No.10/24 ,R. N. M.- Guriyaghat, Teshil - Ranjhi , Dist -Jabalpur. (M.P.) Total Land Area – 5250 Sq.M., Total Built-up Area - 33524.66 sqmtr. Cat. 8(a) Building Cons. Projects.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of residential complex Total Plot Area = 5250 Sq mtrs ., Total Built-Up Area = **33254.66 sq mt** At 12/2,12/4,15 at Village Katiyaghat, Tehsil Ranjhi Distt Jabalpur (MP) , hence project requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site.

The case was presented by the PP Shri Vishal Datt and their Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services , Bhopal and their representatives. During presentation PP submitted that it is a residential multi unit project with convenient shopping with provision of green features like solar power plant (250 KW), MBBR technology based STP (170KLD) , duel plumbing system , MSW management, energy conservation measures, rain water harvesting system etc. Further submitted that they have obtained permission from Jabalpur Municipal Corporation for water supply, sewage disposal and MSW disposal.

The salient features of the project are as given below:

S. No.	Item	Details
1.	Name of the project	Residential project with 209 (181 General + 17 LIG + 11EWS)., Total Built-up Area = 33254.66 sq mt
2.	S. No. in schedule	The project is categorized as 'B-1' under item 8 (a) of Schedule - Gazette Notification dated Sep 14th, 2006 and subsequent amendments issued by MoEF, New Delhi on 01.12.09 and 04.04.2011.
3.	Proposed capacity / area / length / tonnage to be handled / command area / lease area / number of wells to be drilled	The land use of the proposed project is as under:- **Total Land Area = 5250 sq mtrs** **Total Built Up Area = 33254.66 sq mt** Use –Residential project having 209 flats

4.	New / Expansion / Modernization	New
5.	Existing Capacity/Area etc.	It is green field project
6.	Category of Project i.e. 'A[1] or 'B'	'B'
7.	Does it attract the General condition? If Yes, please specify.	No
8.	Does it attract the Specific condition? If Yes, please specify.	No
9.	Plot/Survey/Khasra No.	12/2,12/4,15
	Village	Village Katiyaghat
	Tehsil	Ranjhi
	District	Jabalpur
	State	Madhya Pradesh
10.	Nearest railway station/airport along with distance in kms.	JamtaraParaswara railway station-2.75 Km Jabalpur Airport – **11** km.
11.	Nearest Town, City, District Headquarters along with distance in kms.	Nearest / Name / Distance City / Jabalpur / Within Municipal Area District Headquarters / Jabalpur /
12.	Village Panchayats, Zilla Parishad, Municipal Corporation, Local body (complete postal addresses with telephone nos. to be given)	Jabalpur Municipal Corporation
13	Name of the applicant	M/s Datt Real Infra Private Limited
14	Registered Address	1148/A, Napier Town, Jabalpur (MP)
15	Address for correspondence:	1148/A, Napier Town, Jabalpur (MP)
	Name	Mr. Sudheer Chandra Datta , Director
16	Whether there is any litigation pending against the project and/or land in which the project is propose to be set up? (a) Name of the Court (b) Case No. (c) Orders/directions of the Court, if any and its relevance with the proposed project.	No

17	List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.	Given as below
18	Name of the consultant	Creative Enviro Services 42 Doorsnchar Colony E 8 Gulmohar Bhopal (MP)
19	SR. No. in Nabet/QCI List	29

Salient Features of the project :	
Facility	**Residential Complex (Multistory Multiunit Building)**
Total Project Area	5250 Sqmtrs
Net Planning area	4931.70 sqmtrs
Total Built-up Area	33254.66 Sq mtrs
Total number of flats (2 BHK and 3 BHK, LIG and EWS)	209 (181 General + 17 LIG + 11EWS)
Total No of shops	24 no
Total Water Requirement	183.405 KLD
Net Fresh Water Requirement	81.80 KLD
Total Waste Water Generation	165.066 KLD
Power Requirement	894 KW
Backup Power facility	2X62.5 KVA of DG set
Solid Waste generation	644.35 Kg per Day
Height of buildings	60 M
Number of Block	01
Front MOS	18
Rear MOS	09
Width of main assess	45.70 M
Parking area	5743.44 SQM
Number of vehicle to be parked	207 no
Area under Green belt	493.30 sqmtrs
Area under Roads	320.30

Statement of Areas Development

Statement of Areas		**Development**	
S No	**Particular**	**Permissible**	**Proposed**
1	Organized Open Area	493.30 Sqmt	493.30 Sqmt
2	Services Area	74.30 Sqmt	74.30 Sqmt
3	Maximum Far	13930.48 Sqmt	13930.48 Sqmt
5	Maximum Ground Coverage	1479.51 Sqmt	1479.51 Sqmt
6	M O S Maximum Distance between Two Blocks	NA	NA
7	Maximum Height	60.00 Mt.	60.00 Mt.
8	Total Area of land	……...	5252.00 Sqmt
9	Total Built up area including built-up area as per T & CP norms or MPBVR 2012	13930.48 Sqmt	13930.48 Sqmt
10	Total Built up area including built-up area of stair cases, balcony, basements and other services area which does not considered for calculation wrt T & CP & MPBVR 2012 (I.e. Total Slab area)	NA	33654.66 Sqmt

Area Statement Of Project As Per Sub Rule 30 Of Rule 2 Of MPBVR 2012				
Block No.	**B.U.A.** **Including Balcony**	**Corridor**	**Floor**	**Total Floor Area**
	Each Floor			
1	152.08	76.52	1st Floor	228.60 Sqmt
2	1989.48 (994.74 X 2)	668.56 (334.28 X 2)	2nd To 3rd Floor	2323.76 Sqmt

3	10059.84 (1117.76 X 9)	2373.30 (263.70 X 9)	4th To 12th Floor	12433.14 Sqmt
4	2243.64 (1121.82 X 2)	519.30 (259.65 X 2)	13th To 14th Floor	2762.94 Sqmt
5	7824.32 (1117.76 X 7)	1845.90 (263.70 X 7)	15th To 21st Floor	9670.22 Sqmt

A.	Total Plot Area	5251.90 Sqmt
B.	Less Plot Area under coordination Road	320.30 Sqmt
C.	Net Plot Area	4931.70 Sqmt
D.	Permissible Ground Coverage 30% Of C)	1479.51 Sqmt.
E.	Proposed F.A.R. Ground Coverage	13390.48 Sqmt
F.	Permissible F.A.R. (1.00 Of C)	2.5
G.	Proposed F.A.R.	2.5
H.	Area Of L.I.G. Flats (6% Of G)	517.66 Sqmt (11 Nos of LIG)
I.	Open Area Permissible (Min.) 10% Open Area Proposed	493.30 Sqmt 493.30 Sqmt
J.	Services Area ➢ Sump well & OH Tank ➢ STP & Collection Tank ➢ Rainwater Harvesting ➢ Garbage Disposal ➢ Service Block (Substation, DG Set, etc.) **Total Services Area**	74.30 Sqmt
K.	Permissible Height	60.00 Meters
L.	Road & Circulation	NA
M	Width of Internal Road	NA
O	Width of approach road	36.00 Meters
	Front MoS	18.00 Meters
	Rear MoS	9.00 Meters
	Height of Building	60.00 Meters
	Number of block	1
	Total Built Up area as per T&CP	13390.48. Sqmt

Details of Parking Statement				
Type of Parking	Parking spaces require as per norms of MPBVR 2012	Parking spaces provided	Number of Vehicles required as per norms of MPBVR 2012	Number of Vehicles provided as per norms of MPBVR 2012

Basement	B1- 35 B2- 35 S1- 30 S2-30	B1- 1349.94 Sqmt B2- 1349.94 Sqmt		B1- 39 Cars B2- 39 Cars
Stilt	Open-25	S1- 1349.94 Sqmt S2-1128.62 Sqmt	184 No. of Cars + 23 Cars	S1- 45 Cars S2- 38Cars
Open		565 Sqmt		23 Cars
Total		5743.44 Sqmt	184 + 23 Cars	207 Cars

Plantation scheme

Species	Location	Spacing	No	Remark
Combination of Polyalthia Longifolia (Pencil Ashok) Milingtonia GranilliaRobsta	Two row plantation around the building along the boundary wall (peripheral length 400m X 1.5 m =600sqm)	2.0mt space between two trees and for pencil ashok,	300	Between two trees there will be flower beds to beautifying the campus.
Jamun, Karanj, Pipal, Mango, Khamer, Neem, Sissoo, Jam, Aanwla, and other local species	At Police station Ranjhi Jabalpur	-	500	Between two trees there will be flower beds to beautifying the campus.
			300+ 500	

Proposed EMP & CSR

TOTAL COST (EMP + CSR+ PLANTATION + MONITORING)		
Particular	Rs In lacs Capital	Rs in Lacs per annum – Recurring
Plantation (Capital cost) 145 /- per plant (300) and 500 no at Police Thana Ranjhi	1.25	-
Maintenance of Plantation @ Rs 45/- per plant	-	0.39
Sub Total	**1.25**	**0.39**

Personal Protective Equipments (Mask, Gloves, Goggles, shoos, ear plugs) workers@1500.00 (20 workers)	0.30	0.10 Rs 500 per head)
OHS, first aid and other welfare activities workers @ 1000.00	0.20	0.04 (Rs 200 per head)
Fire fighting arrangement 6kg fire extinguisher @50 no at each floor total 350 no @ 2000/-, Caution board, fire buckets	10	1.75 @500 refilling cost
Sub Total	**10.50**	**1.89**
Collection bin at complex 30 (15 Dry and 15 Wet) at each floor : 210 Number Capacity- 5kg each@200Rs	0.60	1.10 (15 km running@20/- per Km*365days
Sub Total	**0.60**	**1.10**
Environmental Monitoring cost	75 for STP	2.80 for EM and 18 for O&M
Sub Total	**75**	**20.80**
RWH	2.0	0.50
Provision of Solar electrical PV panels/ lights	20	2.85
Sub total	**22**	**3.14**
Provision of rest room and toilet (06 no) with running water facility	**05**	0.50
Sub total	**05**	**0.50**
Total EMP cost	**114.35**	**27.82**

PP satted that old existing structure within the project area shall be demolished and proposing green are upto 10% the committee instructed PP that additionally plantation shall be carried out at nearby Police Station, SDM Office and Govt. School so that the total plantation shall be upto 12% of the total plot area.

After deliberations, the submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Construction of Residential Project – "Dutt Heights " At Survey Total Plot Area = 5250 Sq mtrs., Total Built-Up Area = 33254.66 sq mt At 12/2,12/4,15 at Village Katiyaghat, Tehsil RanjhiDist Jabalpur (MP),** subject to the following special conditions:

I. Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016 and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
iv. Total Power Requirement for the proposed project is 894 KVA
v. Diesel power generating sets proposed (Capacity – 2X62.5 KVA as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG Sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Low sulphur diesel shall be used on DG Sets. The location of the DG sets may be decided with in consultation with MP Pollution Control Board.

vi. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.

vii. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

viii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

ix. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

x. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

xi. The gaseous emission from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xii. For indoor air quality, the ventilation provisions as per National Building Code of India shall be provided.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. Total fresh water use shall not exceed 81.80 KLD, and treated water available for reuse will be 96.605KLD.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be monitor and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

vii. PP should explore the possibility of providing water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation.

viii. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

ix. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

x. Rain water harvesting recharge pits 3 nos. shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xi. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xii. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xiii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering, if any.

xiv. Sewage shall be treated in the STP 170 KLD with tertiary treatment. The treated effluent from STP of 165.066 KLD from STP shall be recycled/re-used for flushing and gardening. The 51.945KLD treated surplus watershall only be disposed in to municipal drain after having approval from the competent authority.

xv. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xvi. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odor problems from STP.

xvii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and

Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets (Capacity– 2X62.5KVA), noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. The PP shall ensure power generation from non- conventional sources i.e. solar power etc. to achieve 30% of the total power consumption.

ii. Looking to the use of e-vehicles atleast three battery charging points per towers in the projects shall be provided.

iii. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

iv. Outdoor and common area lighting shall be LED.

v. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

vi. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed in meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/local building bye-law's requirement, whichever is higher.

vii. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power.

VI. Waste Management

i. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

ii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (582.20KGD) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
iii. E-waste (250 Kg/Year) should properly dispose of through authorized vendors.
iv. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
v. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the MP Pollution Control Board.
vi. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
vii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
viii. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
ix. Used CFLs, TFLs and other e-waste should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid contamination.

VII. Green Cover

i. The 493.30 sq mtrs and peripheral [lantation at 600 sq. meters of total area shall be provided for green belt development with 300 no. as per the details provided in the project document.
ii. As proposed in the plantation scheme minimum of 1620 no’s of trees to be planted. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
iii. Additionally plantation shall be carried out at nearby Police Station, SDM Office and Govt. School so that the total plantation shall be upto 12% of the total plot area.
iv. Not tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department.
v. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature.

vi. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

vii. As proposed, the green belt development / plantation activities should be completed within the first three years of the project and the proposed species should also be planted in consultation with the forest department.

viii. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII Transport

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.
b. Traffic calming measures.
c. Proper design of entry and exit points.
d. Parking norms as per local regulation.

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. Parking's for 207 Nos. as proposed by PP over area of 5743.44 sq mtrs

iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. Basic facilities like wash rooms and toilets for the use by employees, guard, gardeners, outside drivers and house hold workers shall be provided to avoid open defecation in the nearby areas.

ii. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

iii. For indoor air quality the ventilation, provisions as per National Building Code of India shall be provided.

iv. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.

v. Provision shall be made for the housing of construction labor within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

vi. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

vii. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP &Corporation Environment Responsibility

i. In the EMP PP has proposed Rs. 114.35 lakh as capital cost and Rs. 27.82 lakh/year for recurring expenses in the operation phase.

ii. PP proposed following different activities under CER of Rs. 50.00 Lakh .

PROPOSED CER BUDGET AND ACTIVITY					
SN	**Plan**	**Budgetary provisions (Rs in lacs)**			
		Ist Year	**IInd Year**	**IIIrd Year**	**Total**
1	Provision of Infrastructure facility to nearby school viz 100 Chair, 100 Table, 10 Fan, one RO for drinking water facility, Medical check up facility, two toilet facility (girls & Boys), playground, boundary wall etc at school at Hitkarni Semi govt. School, Tripuri Chouk, Garha, Jabalpur	**10**	**10**	**05**	**25**
2	Fund for traffic policing for awareness through police dept.	**05**	**-**	**-**	**05**
3	Skill training through ITI of youth (15 boys and 15 girls) of rural area	**05**	**05**	**-**	**10**
4	Fund to Kanha National park to address the carbon foot print	**10**	**-**	**-**	**10**
	Total Amount	**30**	**15**	**05**	**50**

iii. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

iv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No. P2/24/2024 Shri SHANTANU MISHRA, Leessee, BAZARIYA WARD NO.7, MANU MISHRA HOUSE DAMOH, MADHYA PRADESH. Prior Environment Clearance for Kuluwa (Marutaal) Murum Quarry in an area of 1.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 1/123), Village-Girdoda, Tehsil-Neemuch, District-Neemuch (MP).

प्रस्तावित मुरम खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri SHANTANU MISHRA, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SHANTANU MISHRA, Leessee, BAZARIYA WARD NO.7, MANU MISHRA HOUSE DAMOH, MADHYA PRADESH.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1/123 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड भू–स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त)	1.00 hectare.
स्थल	Village- Kuluwa (Marutaal), Tehsil - Damoh, District – Damoh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 10130 दिनांक 07/08/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम–12,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 868 दिनांक 28/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 868 दिनांक 28/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और आवेदित क्षेत्र से वन सीमा की न्यूनतम् दूरी 150 मीटर होने के कारण	

	संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 12/08/22 को सशर्त अनापत्ति दी गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 868 दिनांक 28/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मारूताल जिला दमोह के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– पक्का रोड लगभग 30 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि 70 मी. का सेटबेक दिया गया एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र 100 मी. की दूरी पर स्थित है उनके द्वारा इस संबंध में अनापत्ति भी प्राप्त कर ली गई है।
	पूर्व दिशा– शेड्स लगभग 270 मी.
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड लगभग 270 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 868 दिनांक 28/11/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वन सीमा की न्यूनतम् दूरी 150 मीटर होने के कारण संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 12/08/22 को सशर्त अनापत्ति में प्रदाय की गई है एवं फेन्सिंग करने, वन भूमि से आवागमन नहीं करने तथा वन क्षेत्र में ओवरबर्डन नहीं डालने आदि शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम–12,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.53 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.77 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
शासकीय नवीन प्राथमिक शाला बरपटी में फर्नीचर (10 नग बेंच एवं डेस्क, 4 लकडी की कुर्सी एवं टेबल और 2 अलमारी)	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन एवं नॉन माइनिग जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम, बॉस, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	900
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	कुलुआ (मारूताल) ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. <u>Case No. P2/25/2024 Shri Rajendra Kumar Porwal, Project Manager, M/s P D AGRAWAL INFRASTRUCTURE LIMITED, 6, Sajeet Marg, Mandssaur, Madhya Pradesh, 458001. Prior Environment Clearance for Mardanpura Stone & M-Sand Mine in an area of 1.85 ha. (150036 cum per year) (Khasra No. 620/1), Village-MARDANPUR, Tehsil-Rahatgarh, District-Sagar (MP).</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Rajendra Kumar Porwal, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Rajendra Kumar Porwal, Project Manager, M/s P D AGRAWAL INFRASTRUCTURE LIMITED, 6, Sajeet Marg, Mandssaur, Madhya Pradesh, 458001.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	620/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.85 hectare.
स्थल	ग्राम MARDANPUR तसहील Rahatgarh जिला Sagar (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 804 दिनांक 07/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर एवं एम सेंड–1,50,036 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर एवं एम सेंड–1,50,036 घनमीटर/वर्ष (1,20,028.80 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–30,007.20 घनमीटर/वर्ष)है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 924 दिनांक 03/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 924 दिनांक 03/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 924 दिनांक 03/08/23 अनुसार 100 मीटर पर नाला एवं 200 मीटर पर पक्की सड़क एवं पर अवैध कब्जा करके मकान बनाये है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मरदानपुर जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed - No Additional tree to be planted -	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्शाया है।	
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड लगभग 114 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इस दिशा में जो शेड्स सिथत है वहां कोई भी	

	रहवासी क्षेत्र नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 804 दिनांक 07/07/23 अनुसार उक्त खदान को आागामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ब्लास्टिंग प्रस्तावित है एवं पक्का रोड 114 मी. की दूरी पर स्थित होने के कारण 200 मी का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोडा गया है अतः खनन योग्य क्षेत्र लगभग 1.21 हे. उपलब्ध होता है जिसमें से पत्थर की वाछिंत मात्रा प्राप्त की जा सकती है। परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि खनन क्षेत्र में 36 मी. की गहराई तक खनन कार्य प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय सहायक, लोक स्वस्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखण्ड राहतगढ़, जिला सागर का पत्र क्रमांक 11 दिनांक 16/02/2024 प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि वर्तमान क्षेत्र का भू–जल स्तर लगभग 55 से 60 मी. पर है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर – 1,20,028.80 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–30,007.20 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.24 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 05.50 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में **प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय बरखेडी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	90,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2542 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5) m . X 602 m (.	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर 4पेड़ के बीच में एक	753
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (L 171 m X W 4 m))पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई01 .50 मीटर(	कला सिरस, नीम, शीशम) सिस्सू(, एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	170
3	ग्राम मरदानपुरा के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	1237
4	नॉन माइनिंग जोन 1.50 मीटर के दूरी में	सलाई, नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर पेड़ के बीच में एक	400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No. P2/28/2024 Shri PANKAJ YADAV, 36, Shree vihar colony, Indore, Indore, Madhya Pradesh - 452001 Prior Environment Clearance for Hatuniya Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 357/1/1), Village-Hatuniya, Tehsil-Sanver, District-Indore (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri PANKAJ YADAV,Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन AGS Environmental Services Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri PANKAJ YADAV, 36, Shree vihar colony, Indore, Indore, Madhya Pradesh - 452001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	357/1/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village- Hatuniya, Tehsil- Sanver, District- Indore	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 240 दिनांक 02/02/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक .560 दिनांक 27/02/17 के द्वारा मुरूम–घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया/क्षमता विस्तार ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन – 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 5000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 996 दिनांक 11/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 996 दिनांक 11/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 996 दिनांक 11/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हतुनिया जिला इंदौर के पत्र दिनांक 2/11/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	**Tree Existed - No**
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– आबादी लगभग 150 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
	पूर्व दिशा– आबादी लगभग 410 मी.
	पश्चिम दिशा– हाईटेंशन लाईन लगभग 33 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लगभग 67 मी का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है। पक्का रोड लगभग 318 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.43 के सरल क्रमांक–40 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग . 15 पेड़ लगाये गये एवं कोई भी पेड़

	नहीं बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 5000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.33 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5. लीज क्षेत्र के के समीप में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी स्वास्थय केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी।	**60,000/-**
जैविक खाद के साथ श्री अन्न निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	**10,000/-**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण**	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**1200**

2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	**3000**
3	परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां** (पूर्ण सुरक्षा सहित)	**600**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

12. **Case No. P2/26/2024 Shri GAJENDRA Singh CHOUHAN, proprietor, M/s Vinayak Enterprises), 55, Radhakrishana Marg, Jhabua, Madhya Pradesh 457661. Prior Environment Clearance for Stone Querry Mining Project in an area of 01.25 ha. (4000 Cum/Year) (Khasra No. 822/3), Village-Piliya Khadan Teshil and Distt. Jhabua (MP)**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गंजेन्द्र सिंह चौहान, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri GAJENDRA Singh CHOUHAN, proprietor, M/s Vinayak Enterprises), 55, Radhakrishana Marg, Jhabua, Madhya Pradesh 457661	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	**822/3** (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	**01.25** hectare.
स्थल	Village-Piliya Khadan Teshil and Distt. Jhabua (MP)	

लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 7102 दिनांक 20/05/22 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 53 दिनांक 21/05/16 के द्वारा पत्थर – 4275 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया/क्षमता विस्तार ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन – **4000** घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **4000** घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 670 दिनांक 27/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 4.99 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 670 दिनांक 27/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 670 दिनांक 27/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट एवं लगभग 50 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क स्थित है शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नही है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 15/08/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड लगभग 83 मी. पर सिथत है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र अनुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ा जावेगा ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।

ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .100 पेड़ लगाये है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

13. <u>Case No. P2/27/2024 M/s SIIPL-SCC (JV), MIG 27 Housing Board Colony Boda Bag, Ward 7, Huzur, REWA, (M.P.) Prior Environment Clearance for PAPRA STONE MINE in an area of 2.364 ha. (150036 cum per year) (Khasra No. 571P), Village-Papra, Tehsil-Amarpatan, District-Satna (MP). T.P.</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय सिंह चौहान, पार्टनर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	M/s SIIPL-SCC (JV), MIG 27 Housing Board Colony Boda Bag, Ward 7, Huzur, REWA, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	571 (P), (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड भू–स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	2.364 hectare.
स्थल	Village- Papra, Tehsil Amarpatan, District Satna (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1865 दिनांक 22/09/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–1,44,876 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–1,44,876 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2211 दिनांक 23/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2211 दिनांक 23/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2211 दिनांक 23/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पपरा जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–18 दिनांक 14/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- 10 Felling - 05 Additional tree to be planted -50
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र पठार पर स्थित है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2212 दिनांक 23/11/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान को पूर्व मे अस्थायी अनुज्ञा जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–1,44,876 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.05 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.68 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
अधोसरंचना विकास के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय पपारा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी (राशि 03 माह के अंदर शिक्षक पालक संघ के खातें में जमा कर दी जावेगी।)	125000/-

4. निम्नानुसार 2800 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्यक्रम (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव, फेसिग तथा रख–रखाव के साथ प्रथम वर्ष मे अनिवार्य रूप से किया जाये एंव आगामी 01 वर्षो की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा की जायः–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5)m.)	नीम, पीपल, शीशम, करंज, खामेर, चिरौल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय	700
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण परिवहन मार्ग (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	नीम, पीपल, शीशम, बरगद, अर्जुन, जामुन, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय | ट्री गार्ड के साथ-	100
3	**पपरा** स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में एवं चार दिवारी)Boundary wall) क्षेत्र पर	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	400
4	**पपरा** के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	1600
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का			

बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No 6322/2023 M/s Sai Minerals, Shri Sanjay Jain, CL 34, Deendayal Nagar, Dist. Gwalior, MP – 474020 Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (85034 cum per year) (Khasra No. 3619/3), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP). EIA.(Expanssion) DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/क0/ संस्थान का नाम व पता	M/s Sai Minerals, Shri Sanjay Jain, CL 34, Deendayal Nagar, Dist. Gwalior, MP – 474020. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. Capacity: 85,034 cum per annum (Expansion of Production Capacity: 15894m3/year Stone to Max. 85,034 m3/year) at Khasra No. 3619/3, Village – Bilaua, Tehsil – Dabra, Dist. Gwalior (MP).[457404].	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा न0. – 3619/3, ग्राम – बिलौआ, तह. – डबरा, जिला – ग्वालियर (म.प्र.).	2.00 हेक्टे. निजि भूमि
परियोजना की श्रेणी	**बी–1 श्रेणी,**	
टॉर स्थिति	ToR (Revised ToR) Recommended in 665th SEAC Meeting dated 03/08/2023 Valid up to 02/07/2024).	
क्षमता विस्तार प्रकरण	Expansion in Production: Capacity From 15,894 M3/Year to 85,034 M3/Year	
लेक सुनवाई तिथि	07/12/2023.	
खनन् कार्यः (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार)।	ब्लास्टिंग कार्य किया जावेगा।	
डिया द्वारा जारी ई.सी.	डिया, ग्वालियर का पत्र क्रमाक 142 दिनांक 04/10/2024.	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन – 15,894 M3/Year to 85,034 M3/Year हेतु	

	(परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार) आवेदन किया गया है और स्टोन – 15,894 M3/Year to 85,034 M3/Year स्वीकृत है।
सैद्वांतिक सहमति/LOI	पत्र क्र0. 13894 भोपाल दिनांक 27/07/2013.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज ाखा) जिला ग्वालियर के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र क्रमांक क्यू. एल.–104/2010 ग्वालियर दिनांक 29/12/2014 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 खदान संचालित है, जिनका कुल रकबा 9.65 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 7896 दिनांक 30/09/2014 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय तहसीलदार तहसील डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक 427 दिनांक 25/09/14 अनुसार सचित किया है, कि मानव बसाहट– 380 मी. की दूरी पर स्थित है। जलीय निकाय – 310 मी. की दूरी पर स्थित होने संबंधी उल्लेख किया है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर का पत्र क्रमांक 6466 दिनांक 28/05/2019.
अक्षांश/देशांस पुनरिक्षित	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर का पत्र क्रमांक 1679 दिनांक 17/10/2023.
Date of Consent issued	08/03/2019 (Valid up to 26/12/2023).
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -04 Felling - 01 Additional tree to be planted -10
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि उत्तर दिशा में 01 नाला खदान क्षेत्र से लगा हुआ है, इस संबंध में 50 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है एवं 01 अन्य नाला लगभग 111 मी. की दूरी पर स्थित है।
	दक्षिण दिशा– नहर लगभग 268 मी., पक्का रोड लगभग 475 मी.
	पूर्व दिशा– स्टील प्लांट लगभग 236 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर का पत्र क्रमांक 1679 दिनांक 17/10/2023 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त खदान के पुनरिक्षित अक्षांश/देशांस को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे शामिल किया जावेगा।

जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन में भी खनन कार्य पाया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 100 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा पूर्व ई.सी. की सर्टीफाईट ई.सी. कम्पलाईन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । परियोजना प्रस्तावक के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशनधीन खदान में कोई भी न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में 01 नाला खदान क्षेत्र से लगा हुआ है, इस संबंध में 50 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है जिससे खनन हेतु लगभग 1.60 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Expansion in 15,894 M3/Year to 85,034 M3/Year ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.08 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.67 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
6. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
7. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
8. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
9. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
10. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
11. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
ग्राम बिलौआ स्थित शाला में पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशी भूप्रवेश के 03 माह के अन्दर प्रदान की जावेगी	1,00,000/-
न्जदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने हेतु पंचायत के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा	20,000/-

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2420 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर क्षेत्र तथानॉनमाइनिंग क्षेत्र के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–नीम, खमेर, काला सिरिस, सिस्सू, जंगल,जलेबी, करंज, सीताफल, चिरोल, सफेद,सिरिस, पीपल आदि	620पौधे
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण (1.5 मी. से अधिक ऊचाई के पौधें।)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–पुत्रंजीवा, मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	150 पौधे
3	ग्राम बिलौआ स्थित शासकीय शालापर वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–पुत्रंजीवा, मोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	50 पौधे
4	आसपास के गांव में पौधे वितरण के लिए ग्रामीणों व पंचायत से परामर्श लेकर वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1600**नग**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

15. <u>Case No. P2/50/2024 Shri RAMESH ANTHATI, Owner, village- Rajma, Tehsil- Baihar, Dist. Balaghat (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.214 ha. (20,777 cum per annum) (Khasra No. 35/2) Village- garratola, Tehsil - Birsa, Distt- Balaghat (M.P.)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री ईरफान अली एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र).उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAMESH ANTHATI, Owner, village- Rajma, Tehsil- Baihar, Dist. Balaghat (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	35/2(निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.214 hectare.
स्थल	Village- garratola, Tehsil - Birsa, Distt- Balaghat (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 859 दिनांक 25/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–41554 टीपीए एवं ओव्हरवर्डन–8,484 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–20,777 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1352 दिनांक 16/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1352 दिनांक 16/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1352 दिनांक 16/11/23 अनुसार 200 मीटर की दूरी पर कच्चा रास्ता स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गर्राटोला जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–11 दिनांक 15/03/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -05 Felling – No	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा– जल निकाय क्षेत्र– लगभग 480 मी.	
	उत्तर पश्चिम दिशा खदान क्षेत्र से एक कच्ची रोड लगभग 35 मी. पर स्थित है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि तहसीलदार के पत्र अनुसार यह रोड मवेशियों के आने जाने का	

	रास्ता है, आमजन के आवागमन हेतु उपयोग में नहीं आता है, इस रास्ते के भू–स्वामीत्व परियोजना प्रस्तावक स्वयं है, परन्तु समिति के निर्देशानुसार 15 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 1217 दिनांक 21/11/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन डीएसआर में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–20,777 घनमीटर/वर्ष ।
2. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.32 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 03.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
Infrastructure development at School at Garratotal village	1.50
Infrastructure development at Aganbadi	1.50

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1120 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	In barrier zone 1st year	Jamun, Karanj, Pipal, Mango, Khamer, Neem, Sissoo, Jam, Aanwla, and other local species	310
2	In barrier zone 2nd year	Jamun, Karanj, Pipal, Mango, Khamer, Neem, Sissoo, Jam, Aanwla, and other local species	310
3	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No. P2/52/2024 Shri Abhishek Sengar, Proprietor, GLOBAL Goodness Bio Works (CBWTF), B- 140 Janta Colony, Sanjeet Road, Mandsaur, Distt.- Mandsaur (M.P.) Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility , at Khasra No- 210/1/9, 210/1/10 Village Daulatpura, Tehsil Mandsaur Dist- Mandsaur (M.P), incinerator Capacity : 150 kg/hr along with all ancillary units/facilities. Total Land Area = 4006.20 sqm. Built up area=2064.29 sqm. Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility. (INFRA2/457522/2024)

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Khasra No- 210/1/9, 210/1/10 Village Daulatpura, Tehsil Mandsaur Dist- Mandsaur (M.P).

PP submitted following information on Parivesh portal

Form – Details		Case No.- P2/52/2024.	
SN	**Projects Details**		**Remarks**
1.	Online Proposal No	**Proposal No.:** SIA/MP/INFRA2/457522/2024.	
2.	Proposal /Activity Name	Shri ABHISHEK SENGAR, Proprietor, GLOBAL GOODNESS BIO WORKS (CBWTF), B- 140 Janta Colony, Sanjeet Road, Mandsaur, Distt.-	

		Mandsaur(M.P.). AT KHASRA NO- 210/1/9, 210/1/10 VILLAGE DAULATPURA, TEHSIL MANDSAUR DIST-MANDSAUR (M.P) **Total Land Area = 4006.20 sqm. Built up area= 2064.29 sqm.** Cat: 7(da) Bio-Medical Waste Treatment Facilities.
3.	EC Status	Fresh ToR.
4.	Description of Project	M/s Global Goodness Bio Works proposes to install Common Bio Medical Waste Treatment Facility in the Dist. of Mandsaur, for scientific disposal of Bio Medical Waste generated generated from various health care facilities/hospitals/ nursing homes from Mandsaur & Nearby Districts. the company proposing to install incinerator of 150 kg/hr along with all ancillary units/facilities.
5.	Capacity	BMW disposal Facility, with capacity - 150 kg/hr Incinerator.

S. N.	Equipment	Number	Proposed Capacity
1.	Rotary Kiln	1 Nos.	150 kg/hr.
2.	Autoclave	1+1Nos.	500 Lit/recycle
3.	Shredder.	1Nos	50kg/hr.
4.	Effluent Treatment Plant	1Nos	7 KLD

6.	Proposed ToR	Submitted by PP.
7.	Project Cost details.	150 Lakhs.
8.	Declaration	No Construction Activity start at site PP submit affidavit/undertaking dated 03/01/2023.
9.	Gram Panchayat NOC	Gram Panchayat- Hyderwas, Distt. – Mandsaur NOC letter No. Q dated 17/02/2023.

Documentary Details

1	DFO NOC	Online Letter issued vide letter No.- date 09 /02/2023.
2	FIRM Registration Date	06/02/2023.
3	Land Diversion	Order Dated 16/12/2022.
4	Lease Deed Agreement Regd. date	Dated 03/01/2023, (Sub Registrar office, Distt. -Mandsaur, (M.P.).
5	PFR	Submited.
6	CMO Permission	CMO, Distt. -Mandsaur lelter No. 8706 dated 26/10/2023.
7	Env. Consultant.	Mr. Kumar Ranjan , M/s Visiontek Consultancy Services Pvt. Ltd. Bhubaneswar-751024, (Odisha).

The case was presented by Environment Consultant Mr. Kumar Ranjan , M/s Visiontek Consultancy Services Pvt. Ltd. Bhubaneswar-751024, (Odisha). and PP Shri Abhishek Sengar, Proprietor, GLOBAL GOODNESS BIO WORKS on dated 17/02/2024 wherein PP stated that proposed Common Bio Medical Waste Treatment Facility involves collection,

Transportation, storage and treatment of Biomedical waste from health care facilities and this proposed project is for temporary storage and treatment of Biomedical Waste.

समिति की उक्त बैठक में निर्देश दिये गये कि बोर्ड द्वारा सीबीडब्ल्यूटीएफ की स्थापना के संबंध में गेप एनालिसिस रिपोर्ट जारी की गई है, अतः गेप एनालिसिस के प्रकाश में उक्त जिले में प्रस्तावित सीबीडब्ल्यूटीएफ की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर बोर्ड की संबंधित शाखा से अभिमत प्राप्त होने के तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

17. Case No P2/34/2024 Shri DEEPENDRA RAJPUT, Surya Nagar, Shamshabad, Vidisha M.P. Prior Environment Clearance for NEELBAD MURRUM QUARRY in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 255/2/2), Village-Neelbad, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP).

प्रस्तावित मुरूम. खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri DEEPENDRA RAJPUT, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Mr. Ashish Tripathi AGS Environmental Services Pvt. Ltd. उपस्थित** हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri DEEPENDRA RAJPUT, Surya Nagar, Shamshabad, Vidisha M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	255/2/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.0 hectare.
स्थल	ग्राम नीलबड तसहील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 11276 दिनांक 24/8/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरूम – 15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 15,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2867 दिनांक 24/8/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2867 दिनांक 24/8/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2867 दिनांक 24/8/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रसूलिया पठार जिला भोपाल के पत्र दिनांक .20/3/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-08 Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा – आबादी लगभग 254 मी.
	पूर्व दिशा– पक्का रोड लगभग 32 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि यह मुरूम का प्रकरण है जिसमें ब्लासिटंग प्रस्तावित नहीं है अतः उनके द्वारा 18 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है।
	दक्षिण पश्चिम दिशा– नाला लगभग 50 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2867 दिनांक 24/8/23 अनुसार उक्त खदान नवीन सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ दी जावेगी समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 15,000 घनमीटर/वर्ष ।

2. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.83 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.35 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	**राशि (रु. में)**
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम नीलबड़ के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	**60,000/-**
जैविक खाद के साथ श्री अन्न निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	**10,000/-**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण**	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2200
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	2000
3	**परिवहन मार्ग के दोनों तरफ 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई) (मीटर**	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	600
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No P-2/40/2024 Shri Puniya Kondar, Ward No. 1, Padepurawa, Ajaygarh, Aramganj, Panna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.5 ha. (1,22,102 cum per annum) (Khasra No. 307/3 K) Village- Lilauri, Tehsil - Raghurajnagar, District - Satna, Madhya Pradesh.TOR.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Puniya Kondar, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Puniya Kondar, Ward No. 1, Padepurawa, Ajaygarh, Aramganj, Panna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	307/3 K (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.5 hectare.
स्थल	Village- Lilauri, Tehsil - Raghurajnagar, District - Satna, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 18 D(A & M) दिनांक 08/04/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–1,22,102 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–1,22,102 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2254 दिनांक 01/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 सदृश एवं 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 31.867 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2254 दिनांक 01/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2254 दिनांक 01/12/23 अनुसार 100 मीटर पर रोड़ एवं नाला एवं 150 मीटर पर आबादी स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	चूँकि प्रकरण बी–1 श्रेणी का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed - Yes
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 2225 दिनांक 01/12/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इनवेन्ट्री उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
6. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
12. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
13- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
14- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

19. <u>Case No. P2/11/2024 Shri Akash Shukla, General Manager, M/s. Samdariya Builders (Shahdol) Pvt. Ltd., Hotel Samdariya Inn, Russel Chowk, Napier Town, Jabalpur(M.P.). 482001. Prior Environment Clearance for proposed Shopping Mall in an area of 0.861 ha. (Total Land Area-8126.800 Sq.M., Total Built-up Area-42593.85 Sq.M.) (Khasra No. 141/2, 142), Village-Sohagpur, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP).</u>

This is case of Prior Environment Clearance for proposed Shopping Mall in an area of 0.861 ha. (Total Land Area-8126.800 Sq.M., Total Built-up Area-42593.85 Sq.M.) (Khasra No. 141/2, 142), Village-Sohagpur, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP).

PP submitted following information on Parivesh portal

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/MIS/455244/2024. Case.
2.	Name of Applicant	Shri Akash Shukla, General Manager, M/s. Samdariya Builders (Shahdol) Pvt. Ltd., Hotel Samdariya Inn, Russel Chowk, Napier Town, Jabalpur(M.P.). 482001.
3.	Project details	Prior Environment Clearance for Proposed Shopping Mall Project proponent: MP Housing Infrastructure development Board & Developer :

		Samdariya Builders Shahdol Pvt Ltd., at khasra no 141/2, 142 (Govt. Land). covering a net area of 0.861 hact (8610 sqmtrs) at Budhar road near Gandhi chouk Shahdol. ***Total Land Area - 8126.800 Sq.M., Total Built-up Area - 42593.85 sqmtr.*** ***Cat. 8(a) Building Construction Projects.***
4.	**Declaration**	No Construction Activity Start at site letter Submitted dated 09/12/2023.
5.	Description of Project	The said land having area admeasuring 8126.80 Sq. Mt. has been allotted to M/s. Samdariya Builders (Shahdol) Pvt. Ltd. By Government of M. P. under Redensification scheme. The applicant is registered as a builder and coloniser and its registration number is MP/UADD/BP/1632/2023 Dtd.: 11/05/2023. Considering the needs of the society with reference to commercial project and location of the land, the owner of the land, M/s Samdariya Builders (Shahdol) Pvt. Ltd., being a Builder Developer & colonizer, has planned the project on the above said land.
6.	Land Allotment	LOA 2233 dated 01/06/2023.
7.	CTE Status	CTE will be obtained after receiving EC.
8.	C&D Waste (Area)	Old DFO office 700 sqmtr.
9.	Maximum Height	24.00 Mtr.
10.	**Lat./Log.**	The proposed site is having latitude • Corner 1 - 230 17‟ 49 “ N 810 21‟ 33” E • Corner 2 - 230 17‟49 “ N 810 21‟ 37” E • Corner 3 - 230 17‟ 51 “ N 810 21‟ 37” E • Corner 4 - 230 17‟ 51 “ N 810 21‟ 33” E • Corner 5 - 230 17‟ 50 “ N 810 21‟ 34” E • Corner 6 - 230 17‟49 “ N 810 21‟ 33” E
11.	Water NOC	Nagar Palika Shahdol suplly 50 KLD Permission letter No. 1132/W.S/2023 dated 14.09.2023.
12.		1136/2023 dated 14.09.2023.
13.	T&CP Permission details.	No. SDLLP270323832/ Date / 04/MAY/2023.
14.	Extra Treated Water NOC	1134/2023 dated 14.09.2023.
15.	Diesel power generating capacity (power backup)	200KW – 03 No.
16.	Rainwater harvesting details.	03 No. Pits.
17.	EMP/ Env. Con	Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).
18.	Any other important issue	No
19.	Remediation cost (If any)	NA

The case was presented by Env Consultant Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal M.P and Shri Akash Shukla, General Manager, M/s. Samdariya Builders (Shahdol) wherein following details were submitted:

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कच्चे मकान स्थित है जिनका डिमोलेशन किया जावेगा। प्रोजेक्ट क्षेत्र में कुल 08 पेड़ है।

समिति ने प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करनें के निर्देश दिये।

1. प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अंदर निर्मित ईमारत किस विभाग से संबंधित है, जिसका डिमोलेशन किया जाना प्रस्तावित है, तथा संबंधित विभाग से डिमोलेशन के संबंध में अनापत्ति प्राप्त कर ली है कि जानकारी प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कच्चे मकान भी स्थित है, अतः सी.एण्ड.डी का विवरण प्रस्तुत करें।
3. गूगल ईमेज के अनुसार प्रोजेक्ट क्षेत्र में कुछ पेड़ स्थित है, अतः पेडो के संरक्षण एवं काटे जाने पेडों का विवरण जियो टेग फोटोग्राफस् के साथ प्रस्तुत करें।
4. प्रस्तावित प्रोजेक्ट क्षेत्र के वर्तमान भू–स्वामित्व का दस्तावेज प्रस्तुत करें।
5. प्रस्तावित शापिंग मॉल की जियोटेग लोकेशन ले–आउट मेप पर प्रस्तुत करें।
6. प्रोजेक्ट क्षेत्र में 12 प्रतिशत ग्रीन एरीया के विकास का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
7. प्रस्तावित परियोजना में विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित होने वाली कार्बन फूट प्रिंट की गणना कर उसके प्रबंधन की योजना प्रस्तुत करें।
8. प्रस्तावित परियोजना में पार्किंग स्थान/ईसीएस (हॉटेल, रेस्टोरेंट, दूकाने एवं मल्टीप्लेक्स को ध्यान में रखतें हुये) की पुर्नरक्षित गणना प्रस्तुत करें।

20. <u>Case No. P2/19/2024 Shri SANJAY JAIN, OWNER (PROJECT PROPONENT), Bahadurpur, Mugawali, District - Ashoknagar, M.P. Prior Environment Clearance for Stone Querry in an area of 3.00 ha. (5025 Cum/Year) (Khasra No. 909), Village - Basahari. Tehsil - Khurai, District - Sagar, Madhya Pradesh.</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri SANJAY JAIN,Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, ऑनलाईन, मेसर्स Cognizance Research India Pvt. Ltd. Noida, Uttar Pradesh उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SANJAY JAIN, OWNER (PROJECT PROPONENT), Bahadurpur, Mugawali, District - Ashoknagar, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	909 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.

स्थल	Village - Basahari. Tehsil - Khurai, District - Sagar, Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 17/04/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 5025 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर– 5025 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1575 दिनांक 18/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.70 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1575 दिनांक 18/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1575 दिनांक 18/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बसाहरी जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक 22/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्शाया है।
	दक्षिण दिशा– एम.पी.ई.बी. सब स्टेशन लगभग 495 मी. की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण दिशा में एक हॉलेज रोड निकल रहीं है।
	पश्चिम दिशा– आबादी लगभग 130 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में ब्लासिटंग प्रस्तावित नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1586 दिनांक 26/10/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण

	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता क्षमता पत्थर– 5025 घनमीटर/वर्ष।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.43 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 04.67 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम बसाहरी में स्कूल के अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 01 कंप्युटर एवं 01 प्रिंटर के लिए 50,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से भू – प्रवेश के तीन माह के अंदर दी जावेगी ।	**50,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	बैरियर जोन	सागौन, काला सिरस, जंगल जलेबी नीम खमेर, एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। **गड्ढे का आकार 70×70×70 से.मी.**	**2400**
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, भी ाम (सिस्सू), कंरज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	**200**
3	बसाहरी ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरूद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	**1000**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No P2/48/2024 Smt. Rajkumari, Owner, W/o Shri Indar Adivashi R/o- Village- Ikahara, Tehsil- Bhitarwar, District- Gwalior (M.P.)- 475220, Prior Environment Clearance for Jakhauda Flagstone Mine, Flag Stone - 6000 M3/Year, Lease Area- 1.00 ha., at khasra No.- 948(P), VILLAGE - JAKHAUDA, TEHSIL - HATIGAON, Distt. Gwalior (M.P.) (TOR)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Rajkumari, Owner,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Smt. Rajkumari, Owner, W/o Shri Indar Adivashi R/o- Village- Ikahara, Tehsil- Bhitarwar, District- Gwalior (M.P.)- 475220, Prior Environment Clearance for Jakhauda Flagstone Mine, Flag Stone - 6000 M3/Year, Lease Area- 1.00 ha., at khasra No.- 948(P), VILLAGE - JAKHAUDA, TEHSIL - HATIGAON, Distt. Gwalior (M.P.), [SIA/MP/MIN/456850/2023].

परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 948(P),	एरिया– 1.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	VILLAGE – JAKHAUDA, TEHSIL – GHATIGAON, Distt. Gwalior(M.P.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 71023 दिनांक 18/08/2023.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–1.**	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	-	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Non Blasting only Drilling. (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नही।**	
उत्पादन क्षमता	Flag Stone - 6000 M3/Year,	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1539 दिनांक 26/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में **08** खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा **17.570** हे. होता है, अतः प्रकरण **बी–1** श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1539 दिनांक 26/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1539 दिनांक 26/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – घाटीगांव (बरई), जिला – ग्वालियर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 16 दिनांक 16/09/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- Yes	
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण पश्चिम दिशा– डेम लगभग 425 मी.	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण –पत्र क्रमांक 1539 दिनांक 26/12/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण	

	रिर्पोट में जोडी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. सरफेस रन ऑफ मैनेजमेन्ट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
7. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
13. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

14- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

15- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

22. Case No P2/49/2024 Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of --- ha. (2,00,000 cum per annum) (Khasra No. 589 (P)) Village MAHOBA Tehsil- Gaurihar District Chhatarpur (M.P.).

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 17/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Devendra Shivhare, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा. लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Devendra Shivhare, Partner, M/s RAJAY MINERALS, House Number- 4-1, Indira Nagar, Kabrai, District- Mahoba, Uttar Pradesh.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	589 (P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)
स्थल	ग्राम MAHOBA तसहील Gaurihar जिला Chhatarpur (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 5845 दिनांक 16/12/19 के द्वारा शेष अवधि हेतु अंतरित ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–2,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–2,00,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07

	अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 24.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 13/10/23 अनुसार सार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी के अंदर मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्थान एवं जलीय निकाय स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महोवा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- Yes
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– पक्का रोड लगभग 134 मी.
	दक्षिण पश्चिम दिशा– आबादी लगभग 75 मी.
	दक्षिण पूर्व दिशा– जल निकाय क्षेत्र लगभग 166 मी.
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड लगभग 30 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक की अण्डरटेकिंग दिनांक 24/12/23 अनुसार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. सरफेस रन ऑफ मैनेजमेन्ट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

4. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
7. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
13. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
14- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
15- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेथ स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
   - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
   - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
   - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
   - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
   - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
   - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
   - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे